

पत्रांक-11 न० वि० अभि० (को०) 162/2016 // 45 न० वि० एवं आ० वि०
 बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता
 बिहार शहरी विकास अभिकरण
 नगर विकास एवं आवास विभाग
 बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
 जिला शहरी विकास अभिकरण,
जहानाबाद।
 कार्यपालक पदाधिकारी,
 नगर पंचायत, मखदुमपुर।

पटना, दिनांक 11/9/18

विषय:- राज्य योजना अन्तर्गत नगर पंचायत, मखदुमपुर अन्तर्गत 04 (चार) योजनाओं के प्राक्कलन के तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, जहानाबाद का पत्रांक-70 दिनांक-23.07.2018
 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा नगर पंचायत, मखदुमपुर अन्तर्गत 04 (चार) योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है। प्राक्कलनों के जाँचोपरांत तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन की राशि निम्नवत् है:-


क्र० सं०	योजना का नाम (राज्य योजना अन्तर्गत)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)
1.	मखदुमपुर नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड सं०-11 अन्तर्गत संजय हलवाई के घर से दक्षिण डा० सुरज तक एवं कपील प्रसाद के घर से गुहिया तक आ०सी०सी० नाला एवं पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	44.039 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-161 दिनांक-27.03.2018)	44.039	42,32,989 / -
2.	मखदुमपुर नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड सं०-05 अन्तर्गत पलेया हण्डा में घाट निर्माण कार्य।	60.052 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-161 दिनांक-27.03.2018)	59.05	58,43,031 / -
3.	मखदुमपुर नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड सं०-03 अन्तर्गत भानेविगहा स्कूल के पास से ढक्कनी बिगहा गांव तक सोलिंग पी०सी०सी० एवं कलभर्ट निर्माण कार्य।	126.992 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-161 दिनांक-27.03.2018)	126.403	1,25,24,181 / -
4.	मखदुमपुर नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड सं०-18 अन्तर्गत अकौना	66.784 (सरकार के विशेष	65.937	65,17,964 / -

<p>मठ भगवानपुर मोड़ से मिथलेश शर्मा के खेत एवं तुलसीपुर पुल के पास से रामकेश्वर यादव के खेत तक सोलिंग एवं पी0सी0सी0 ह्यूम पाईप कलभर्ट और आर0सी0सी0 स्लैब कलभर्ट पुल निर्माण कार्य।</p>	<p>सचिव का पत्रांक-161 दिनांक-27.03.2018)</p>		
--	---	--	--

अतः उक्त चारों योजनाओं के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुमोदित परिमाण विपत्रा की एक-एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनु0:- यथोक्त।



अधीक्षण अभियंता
 बिहार शहरी विकास अभिकरण
 नगर विकास एवं आवास विभाग
 बिहार पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- राज्य योजना अन्तर्गत मखदुमपुर नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड सं०-11 अन्तर्गत संजय हलवाई के घर से दक्षिण डा० सुरज तक एवं कपील प्रसाद के घर से गुहिया तक आर०सी०सी० नाला एवं पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 44,03,900 / - (चौवालीस लाख तीन हजार नौ सौ) रुपये मात्र। सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-161 दिनांक-27.03.2018
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 44,03,900 / - (चौवालीस लाख तीन हजार नौ सौ) रुपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(viii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं०-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xii) RCC कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।


11/9/18

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना


बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- राज्य योजना अन्तर्गत मखदुमपुर नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड सं०-05 अन्तर्गत पलेया हण्डा में घाट निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 60,05,200/- (साठ लाख पाँच हजार दो सौ) रुपये मात्र। सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-161 दिनांक-27.03.2018
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 59,05,000/- (उन्नसठ लाख पाँच हजार) रुपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनु रूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(vii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(viii) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(ix) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(x) विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
(xi) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।




अधीक्षण अभियंता

 बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- राज्य योजना अन्तर्गत मखदुमपुर नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड सं०-03 अन्तर्गत भानेविगहा स्कूल के पास से ढक्कनी बिगहा गांव तक सोलिंग पी०सी०सी० एवं कलभर्ट निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 1,26,99,200/- (एक करोड़ छब्बीस लाख नानानवे हजार दो सौ) रुपये मात्र। सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-161 दिनांक-27.03.2018
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 1,26,40,300/- (एक करोड़ छब्बीस लाख चालीस हजार तीन सौ) रुपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(viii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं०-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xii) RCC कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।


11/9/18
अधीक्षक अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना


बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- मखदुमपुर नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड सं०-18 अन्तर्गत अकौना मठ भगवानपुर मोड़ से मिथलेश शर्मा के खेत एवं तुलसीपुर पुल के पास से रामकेश्वर यादव के खेत तक सोलिंग एवं पी०सी०सी० ह्यूम पाईप कलभर्ट और आर०सी०सी० स्लैब कलभर्ट पुल निर्माण कार्य।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 66,78,400/- (छियासठ लाख अठहत्तर हजार चार सौ) रूपये मात्र। सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-161 दिनांक-27.03.2018
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 65,93,700/- (पैंसठ लाख तेरानवे हजार सात सौ) रूपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनु रूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(viii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं०-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xii) RCC कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।
(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।


11/9/18

अधीक्षण अभियंता

 बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।